JHARKHAND STATE OPEN UNIVERSITY

(Established by the Government of Jharkhand & Recognised as per Jharkhand Act, 12, 2021)

पत्रांक :– JSOU/R/2022/208 दिनांक :– 3/12/2022

सेवा में,

प्राचार्य / निदेशक / सचिव
इंस्टीच्यूट फोर एजुकेशन,
विजय, सिनी, सरायकेला–खरसावां

विषय:– झारखण्ड राज्य खुला विश्वविद्यालय, राँची के अध्ययन केन्द्र संचालन की अनुमति।
झारखण्ड राज्य खुला विश्वविद्यालय, राँची के द्वारा प्रदत अध्ययन केन्द्र कोड (SCPA026)

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में झारखण्ड राज्य खुला विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र संचालन हेतु शैक्षाणिक संस्थानों से प्राप्त आवेदन व निरीक्षण के अनुशंसा के अलोक में निम्नकिंत शर्तो के साथ एक वर्ष के लिए अध्ययन केन्द्र संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है, जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2023 निर्धारित है।

झारखण्ड राज्य खुला विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र संचालन हेतु शर्तें व प्रावधान –

1. विद्यार्थियों से योग्यता प्रमाण पत्र संग्रह करने और स्टडी मेटेरियल उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी अध्ययन केन्द्र की है।
2. छात्रों का नामांकन प्रतिवेदन / पंजीयन / परीक्षा फार्म निर्धारित समय पर समन्वयक को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
3. विश्वविद्यालय के मद में प्राप्त राशि 7 दिनों के अंदर विश्वविद्यालय के बैंक खाता में निश्चित रूप से जमा कर दें।
4. आय–व्यय का लेखा व नामांकन / परीक्षा संबंधी अभिलेख अद्यतन रखना होगा जिसकी जांच समन्वयक या विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारियों द्वारा कभी भी की जा सकती है। त्रुटियां प्राप्त होने की स्थिति में उसमें सुधार करने का आवश्यक दिशा–निर्देश विश्वविद्यालय द्वारा दिया जायेगा। उक्त दिशा–निर्देशों की अवहेलना की स्थिति में संबंधित अध्ययन केन्द्र के संचालक / प्रबंधक के विरूद्ध विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक कार्रवाई की जाएगी।
5. अध्ययन केन्द्र की अवधि विस्तार हेतु प्रतिवर्ष अंतिम तिथि से 3 माह पूर्व आवेदन करना होगा।
6. प्राप्त आवेदन व निरीक्षण प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा के आधार पर अवधि विस्तार दी जा सकती है।
7. विश्वविद्यालय के नियम–परिनियम या समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना की अवहेलना की स्थिति में बिना किसी सूचना क अनुमति वापस लेते हुए अध्ययन केन्द्र बंद करने की कार्रवाई की जाएगी।
8. किसी अध्ययन केन्द्र के बंद होने की स्थिति में उस क्षेत्र में स्थित किसी शैक्षाणिक संस्थान में नया अध्ययन केन्द्र संचालन करने की अनुमति प्रदान की जाएगी अथवा बंद किए गये अध्ययन केन्द्र के विद्यार्थियों को उस क्षेत्र के नजदीक स्थित अध्ययन केन्द्र से जोड़ा जाएगा।
9. अध्ययन केन्द्र में फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र की सुविधा व समुचित सुरक्षा व्यवस्था होना अनिवार्य होगा।
10. संध्या समय / छुटटी के दिनों में ऑनलाईन / ऑफलाईन काउंसलिंग / सेमिनार किया जा सकता है।

Jharkhand State Open University Ranchi

Address: - Jharkhand State Open University, Opp. Faculty of Forestry, Birsa Agriculture University, Kanke, Ranchi, Pin-834006, Email- registrarjsou@gmail.com, Ph.No.-8929006645

प्रति

JHARKHAND STATE OPEN UNIVERSITY

(Established by the Government of Jharkhand & Recognised as per Jharkhand Act, 12, 2021)

11. केन्द्र–कोऑर्डिनेटर व डाटा इंट्री ऑपरेटर के संबंध में आवश्यक जानकारी विहित प्रपत्र में विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना होगा।
12. समन्वयक या विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना अगर आवश्यक हो तो विद्यार्थीयों को उपलब्ध कराना होगा।
13. अध्ययन केन्द्र के अधिकृत व्यक्तियों को बदलने के पूर्व विश्वविद्यालय से स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।
14. बिना अनुमति के अध्ययन केन्द्र का लोकेशन/भवन परिवर्तन करने पर अध्ययन केन्द्र बंद करने की कार्रवाई की जा सकती है।
15. अध्ययन केन्द्र का लोकेान/भवन परिवर्तन के लिए प्राप्त आवदेन व निरीक्षण प्रतिवेदन की अनुशंसा के आलोक में लोकेशन/भवन परिवर्तन की अनुमति प्रदान करने पर विचार किया जायगा।
16. अध्ययन केन्द्र द्वारा विश्वविद्यालय से कोई भी सम्पर्क/पत्राचार समन्वयक के माध्यम से होगा।
17. अध्ययन केन्द्र बंद करने हेतु विश्वविद्यालय के कुलसचिव के नाम आवेदन पत्र समार्पित करना होगा, जिसपर समन्व्यक का मंतव्य संलग्न होना आवश्यक होगा। प्राप्त आवेदन के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम निर्णय लिया जायगा।
18. अध्ययन केन्द्र बंद करनेवाले व्यक्ति/प्रबंधन को पुनः अध्ययन केन्द्र संचालन की अनुमति नहीं प्रदान की जायगी।

Jharkhand State Open University ★ Ranchi

कुलपति के आदेशानुसार

3/1/2022

कुलसचिव

झारखण्ड राज्य खुला विश्वविद्यालय